भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2288
सोमवार, 2 अगस्त, 2021/11 श्रावण, 1943 (शक)

शहरी युवा रोजगार कार्यक्रम

2288. श्री फ़िरोज़ वरूण गांधीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शहरी युवा रोजगार कार्यक्रम की योजना बनाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) वर्ष 2019-20 के लिए शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शहरी-स्थानीय निकाय स्तर पर पहल की है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एक धारणीय आधार पर शहरी निर्धन परिवारों की निर्धनता और भेद्यता को कम करने के लिए "दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। मिशन का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, शहरी निर्धनों को लाभकारी स्वरोजगार पहुंच और कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन (ईएसटीएंडपी) घटक के माध्यम से रोजगार के तहत बाजार उन्मुख पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना है। साथ ही, शहरी निर्धनों के व्यक्तियों/समूहों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को लाभकारी स्वरोजगार उद्यम या सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर 6.9% हैं।

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) योजना 01 जून, 2020 को प्रारंभ की गई थी ताकि कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण बूरी तरह से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हेतु अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए, कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करने के लिए थी।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनःबहाली हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। ईपीएफओ द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।

****